ी–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 24/2015

(गरखा थाना कांड संख्या 264/2015 से संबंधित)

सरकार (मार्फत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा, सारण)

बनाम

अज्ञात

आदेश का म–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
.10.2015 26.10.15	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक कैम्प 26 मु. दिनांक 20.10.2015 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित किए गए कागजातों (प्राथमिकी हेतु आवेदन, जप्ती सूची, एवं जिम्मेनामा) का अवलोकन किया गया। उक्त कागजातों के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 13.10.2015 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरखा के बगल में मैकी जानेवाले रास्ते के पास एक बैल गाड़ी पर 24 बोरा (हाथ सिलाई किया हुआ) में 12 क्विंटल चावल लादा हुआ पाया गया। बैल गाड़ी का चालक तथा बैल वहाँ नही था। सभी बोरों पर राज्य खाद्य निगम का मुहर लगा था। किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस चावल पर अपनी दावेदारी नही की गयी। स्पष्ट है कि इसे काला बाजार में बेचने हेतु ले जाया जा रहा था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गरखा के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7EC के अन्तर्गत गरखा थाना में प्राथमिकी संख्या 264/15 दिनांक 13.10.2015 दर्ज कराया गया है। जप्त खाद्यान्न को स्थानीय जनवितरण प्रणाली विक्रेता दिनेश प्रसाद साह, अनु0सं0 40/07 ग्राम वाजितपुर को जिम्मेनामा पर सौंप दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा उक्त जप्त सामग्री के अधिग्रहण का प्रस्ताव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत् प्रेषित किया गया है। गरखा थाना कांड संख्या 264/2015, दिनांक 13.10.2015 में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। अतः निर्देश है कि भविष्य में, कोई भी व्यक्ति यदि उक्त जप्त खाद्यान्न की दावेदारी करे, तो उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए कि छापामारी के कम में जप्त सामग्री के अधिग्रहण की कार्रवाई क्यों न की जाए। चूंकि जप्त खाद्यान्न नष्ट होने वाला एक पदार्थ है, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए–2) के अन्तर्गत उचित दर पर बिक्री हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,छपरा को प्राधिकृत किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को आदेश दिया जाता है कि **यदि किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल नहीं हो** तो वे जप्त खाद्यान्न को जप्ती सूची के अनुसार डाक के द्वारा बिक्री कराकर विक्रय राशि को जिला कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 19.11.	

2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।

थानाध्यक्ष गरखा को निर्देश है कि गरखा थाना कांड संख्या 264/15,दिनांक 13.10.2015 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन(अभियुक्त की गिरफ्तारी, आरोप पत्र दाखिल करना आदि) आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7EC सारण, छपरा उक्त थाना कांड से संबंधित वाद के माननीय न्यायालय में दाखिल होने के पश्चात् उसकी प्रगति के संबंध में पाक्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय-समय पर तदनुसार यथोचित आदेश पारित करने की कार्रवाई की जा सकें।

अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा के माध्यम से सभी संबंधित को इस आदेश एवं संबंधित पत्र तथा नोटिस का तामिला कराया जाए।

अभिलेख 26.11.2015 को प्रस्तुत किया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

26/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

26/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 950 /न्या0, दिनांक 2/11/2015

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न कागजात का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः- थानाध्यक्ष,गरखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः- ~~[illegible]~~ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

26/10/15